

प्रेषक,

निदेशक,

पंचायतीराज, उ०प्र०।

सेवा में,

समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी,

उ०प्र०।

संख्या: 2/2235/2023-2/46/2013संघ,

लखनऊ: दिनांक 08 जून, 2023

विषय: केन्द्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत मैटेरियल आपूर्ति अथवा अन्य कार्य हेतु वेण्डर के रूप में कार्य के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पंचायतीराज अनुभाग-3, उ०प्र०शासन के शासनादेश संख्या:730/33-3-2022-11/2022, दिनांक 26.04.2022 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत मैटेरियल आपूर्ति अथवा अन्य कार्य हेतु वेण्डर के रूप में कार्य के संबंध में निर्देश दिये गये हैं।

उल्लेखनीय है कि विभिन्न जनपदों से यह शिकायत प्राप्त हो रही है उक्त शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। जिससे विभागीय अनुशासन एवं पारदर्शिता के दृष्टिगत समस्या आ रही है। विभागीय कार्यप्रणाली में सुचिता एवं पारदर्शिता के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि उक्त शासनादेश का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

अतः उपरोक्त शासनादेश दिनांक 26.04.2023 की प्रति संलग्न करते हुए पुनः निर्देशित किया जाता है कि समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी अपने-अपने जनपदों में वित्त आयोग पी.एफ.एम.एस. पर वेण्डर के रूप में रजिस्टर्ड फर्म/कम्पनी की पृष्ठभूमि उपरोक्त निर्देशों के क्रम में पुनः जाँच करते हुए और उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। आप अपने जनपद में अनुपालन कराते हुए आख्या भी उपलब्ध कराये।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(प्रमोद कुमार उपाध्याय)

निदेशक,

पंचायतीराज, उ०प्र०।

संख्या:2/2235/1/2023, उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा० सभापति, पंचायतीराज समिति, विधान भवन, लखनऊ को मा० सभापति के अवलोकनार्थ।
2. विशेष सचिव, पंचायतीराज अनुभाग-3, उ०प्र० शासन।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
5. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं०), उ०प्र०।
6. उपनिदेशक (पं०)/नोडल अधिकारी, केन्द्रीय एवं राज्य वित्त आयोग, पंचायतीराज निदेशालय, उ०प्र०।

(राज कुमार)

अपर निदेशक (प्रशा०),

पंचायतीराज, उ०प्र०।

प्रेषक,

निदेशक,

पंचायतीराज, उ०प्र०।

सेवा में,

समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी,

उ०प्र०।

संख्या: 2/2235/2023-2/46/2013संघ,

लखनऊ: दिनांक 08 जून, 2023

विषय: केन्द्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत मैटेरियल आपूर्ति अथवा अन्य कार्य हेतु वेण्डर के रूप में कार्य के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पंचायतीराज अनुभाग-3, उ०प्र०शासन के शासनादेश संख्या:730/33-3-2022-11/2022, दिनांक 26.04.2022 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत मैटेरियल आपूर्ति अथवा अन्य कार्य हेतु वेण्डर के रूप में कार्य के संबंध में निर्देश दिये गये हैं।

उल्लेखनीय है कि विभिन्न जनपदों से यह शिकायत प्राप्त हो रही है उक्त शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। जिससे विभागीय अनुशासन एवं पारदर्शिता के दृष्टिगत समस्या आ रही है। विभागीय कार्यप्रणाली में सुचिता एवं पारदर्शिता के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि उक्त शासनादेश का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

अतः उपरोक्त शासनादेश दिनांक 26.04.2023 की प्रति संलग्न करते हुए पुनः निर्देशित किया जाता है कि समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी अपने-अपने जनपदों में वित्त आयोग पी.एफ.एम.एस. पर वेण्डर के रूप में रजिस्टर्ड फर्म/कम्पनी की पृष्ठभूमि उपरोक्त निर्देशों के क्रम में पुनः जाँच करते हुए और उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। आप अपने जनपद में अनुपालन कराते हुए आख्या भी उपलब्ध कराये।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)

निदेशक,

पंचायतीराज, उ०प्र०।

संख्या:2/2235 /1/2023, उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा० सभापति, पंचायतीराज समिति, विधान भवन, लखनऊ को मा० सभापति के अवलोकनार्थ।
2. विशेष सचिव, पंचायतीराज अनुभाग-3, उ०प्र० शासन।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
5. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं०), उ०प्र०।
6. उपनिदेशक (पं०)/नोडल अधिकारी, केन्द्रीय एवं राज्य वित्त आयोग, पंचायतीराज निदेशालय, उ०प्र०।

(राज कुमार)

अपर निदेशक (प्रशा०),

पंचायतीराज, उ०प्र०।

2/2235/2023

संख्या-730/33-3-2022-11/2022

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।
26/4/2022

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।

2- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ०प्र०।

पंचायती राज अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 26 अप्रैल, 2022

विषय:- केन्द्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत मैटेरियल आपूर्ति अथवा अन्य कार्य हेतु वेण्डर के रूप में कार्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

केन्द्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत कराए जाने वाले कार्यों हेतु मैटेरियल आपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है। निर्माण सामग्री के अतिरिक्त वित्त आयोग के संचालन व अनुश्रवण में ईंधन, स्टेशनरी व अन्य सामग्री व सेवाओं की आपूर्ति भी करायी जाती है।

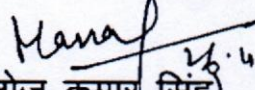
2- पारदर्शी व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि पंचायतीराज विभाग से जुड़े पदाधिकारियों/कर्मियों अथवा उनके नजदीकी रिश्तेदारों द्वारा बनाई गई फर्म/कम्पनीज आपूर्तिकर्ता/वेण्डर के रूप में कार्य न करे। प्रथमदृष्टया हितों का टकराव (conflict of interest) का प्रकरण न बने इसलिए भी यह आवश्यक है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त आयोग के अन्तर्गत मैटेरियल, ईंधन, स्टेशनरी व अन्य सामग्री अथवा सेवाओं की आपूर्ति हेतु पंचायतीराज विभाग से जुड़े पदाधिकारी/कर्मियों (जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत के कर्मियों, जिला पंचायत राज अधिकारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), ग्राम पंचायत प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव, पंचायत सहायक, पंचायती राज विभाग के कर्मियों व विभाग में संविदा पर कार्यरत कर्मियों) के पारिवारिक सदस्यों व रिश्तेदारों द्वारा स्थापित फर्म/कम्पनीज से वेण्डर के रूप में कार्य नहीं लिया जायेगा। परिवार/सम्बन्धी का तात्पर्य जिला पंचायत सेवा नियमावली, 1970 के पैरा-54 के अनुसार पिता, पितामह, ससुर, चाचा या मामा, पुत्र, पौत्र, दामाद, भाई, भतीजा या भांजा,

सगा चचेरा या ममेरा भाई, पत्नी का भाई और बहनाई, पति, पति का भाई, पति की बहन, पत्नी की बहन, पत्नी, पुत्री, पुत्रवधू, बहन, भाभी जो भाई या सगे चचेरे या ममेरे भाई की पत्नी हो, माता, सास, चाची या मामी से है।

4- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी अपने-अपने जनपदों में वित्त आयोग के अन्तर्गत पी.एफ.एम.एस. पर वेण्डर के रूप में रजिस्टर्ड फर्म/कम्पनी की पृष्ठभूमि उपरोक्त निर्देशों के क्रम में एक बार पुनः जांच करने और उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

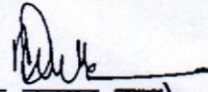

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक: तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
2. निदेशक, पंचायती राज उ०प्र०, लखनऊ।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
4. उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ०प्र०, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(अशोक कुमार राम)
अनु सचिव।